बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 22 / 2020–704

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक–20/08/2020

विषय – लखीसराय एवं मुंगेर जिलान्तर्गत मोकामा–मुंगेर पथ किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.5591 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि लखीसराय एवं मुंगेर जिलान्तर्गत मोकामा–मुंगेर पथ किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप लाईन बिछाने के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.5591 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का प्रस्ताव वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. प्रस्तावित परियोजना निर्माण स्थल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 921 (ई०) दिनांक 28.08.1997 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। लखीसराय एवं मुंगेर जिलान्तर्गत मोकामा–मुंगेर पथ किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप लाईन बिछाने में 2.5591 हे० वन भूमि के अपयोजन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर एवं वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना द्वारा किया गया है।

3. परियोजना निर्माण के क्रम में अपयोजित होने वाली वन भूमि को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा, Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम प्रयोक्ता एजेंसी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0 प्रतिवेदित किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किये जाने की सूचना अंकित किया गया है।

6. वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित पाईप लाईन का मार्गरेखन भीम बांध वन्यप्राणी आश्रयणी से मुंगेर जिलान्तर्गत 5–15 कि०मी० एवं लखीसराय जिलान्तर्गत 07–20 कि०मी० दूर है जो भीम बांध वन्यप्राणी आश्रयणी के इको संसेटिव ज़ोन से बाहर हैं।

6. परियोजना निर्माण में लखीसराय जिलान्तर्गत अपयोजित होने वाली 1.7916 हे० वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जिसकी छायाप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है। मुंगेर जिलान्तर्गत अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये FRA, 2006 का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ मुंगेर जिलान्तर्गत अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये FRA, 2006 प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

7. परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण की अनुशंसा प्रस्ताव के साथ नहीं किया जा रहा है।

8. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 2.5591 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 16,01,997/– की 50% राशि रू० 8,00,998/–(रूपये आठ लाख नौ सौ अनठानवें) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 704 दिनांक– 20/08/2020

प्रतिलिपि – मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण) इंडियन ऑयल कॉरर्पोरेशन लिमिटेड, पटना/वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.8.2020
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।